न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—101/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/101)

1. जगदीश पुत्र श्री गोरधन जाति धाकड
2. रामनारायण पुत्र श्री गोरधन जाति धाकड
3. मुकेश पुत्र श्री प्रहलाद जाति धाकड
4. आशाराम पुत्र श्री प्रहलाद जाति धाकड
5. कमलेश पुत्र श्री हंसराज जाति धाकड

समस्त निवासीगण ग्राम जतीपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. घनश्याम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति धाकड
2. कालू पुत्र श्री रामेश्वर जाति धाकड
3. गोपाल पुत्र श्री रायचन्द्र जाति धाकड

समस्त निवासी ग्राम जतीपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर।

4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सरवाड जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.12.2024 उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 311/2023

उपस्थितः—

1. श्री मनीष खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हसन खान, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 4

निर्णय

दिनांकः—28.07.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 311/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यार्थी संख्या 1/प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी सरवाउ के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। उक्त प्रकरण में केवल अप्रार्थी संख्या 1 को पर्याप्त रूप से नोटिस तामील हुए परंतु अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त तामील कराए बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में दिनांक 19.12.2024 को बहस सुनी जाकर उसी दिवस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 311/2023 में पारित

निर्णय दिनांक 19.12.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित किए जाने से पूर्व प्रत्यार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए का अवलोकन नहीं किया गया। प्रत्यार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में किए गए अभिकथनों अनुसार पूर्व में चालू रास्ते को अपीलार्थीगण द्वारा अवरूद्ध कर दिए जाने तथा मौके पर जबरन खम्बे गाढने का उल्लेख किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार पूर्व में चालू रास्ते को अवरूद्ध करने पर रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 में पोषणीय है तथा उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित तहसीलदार को प्राप्त है। प्रत्यार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र प्रथम दृष्टया धारा 251ए के तहत पोषणीय नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी संख्या 2 लगायत 5 को पर्याप्त रुप से नोटिस तामील नहीं कराये गये। दीवानी प्रकिया संहिता के अनुसार प्रकरण के प्रत्येक पक्षकार को व्यक्तिगत रुप से नोटिस तामील कराया जाना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी संख्या 2 लगायत 5 के नोटिस तामील कराये बिना ही उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया तथा अपीलार्थी संख्या 2 लगायत 5 को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रकरण के समस्त पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित किये जाने से पूर्व इस तथ्य को नजरअन्दाज किया गया कि मौका रिपोर्ट बनाये जाने से पूर्व सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस तामील कराये गये अथवा नहीं, मौका रिपोर्ट बनाये जाने से पूर्व सम्बन्धित तहसीलदार एंव पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थीगण को पृथक–पृथक नोटिस व्यक्तिगत रुप से तामील नहीं कराये गये बल्कि एक ही नोटिस में समस्त अपीलार्थीगण के नाम अंकित करते हुए प्रकरण के पक्षकार से भिन्न व्यक्ति को नोटिस तामील कराया गया जो कि विधि प्रतिकूल है। अपीलार्थीगण को नोटिस तामील कराये बिना अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार मौका रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं होने से उक्त मौका रिपोर्ट पर आधारित अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित किये जाने से पूर्व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया जाकर मनमाने तौर पर अपीलार्थीगण की आराजी में रास्ता दिये जाने का आदेश कर दिया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तहसीलदार सरवाड को प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 21–02–2024 में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि "अन्य निकटतम रास्ता खसरा संख्या 967, 968 व 2001/966 जो सबसे छोटा रास्ता है, में से भी दिया जा सकता है"। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट में उपलब्ध अन्य वैकल्पिक रास्ते बाबत कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया तथा मौका रिपोर्ट

के विपरीत जाकर केवल अपीलार्थीगण को हैरान व परेशान करने की बदनियति से निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित किये जाने से पूर्व प्रार्थनापत्र में उल्लेखित पक्षकारान की खातेदारी आराजीयात बाबत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं किया गया। प्रत्यार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 1015 व 1014 बाबत उक्त प्रार्थनापत्र में रास्ते का अनुतोष चाहा गया परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार सीता पत्नि राजू धाकड निवासी ग्राम जतिपुरा के नाम इन्द्राज है। उक्त आराजीयात से प्रत्यार्थीगण का कोई वास्ता अथवा सरोकार नहीं होने के बावजूद भी उक्त आराजीयात को प्रार्थनापत्र में सम्मिलित कर लिया गया तथा सीता पत्नि राजू को प्रकरण में पक्षकार नियोजित नहीं किया गया। प्रत्यार्थीगण द्वारा खसरा 1010 व 1016 में से रास्ते का अनुतोष चाहा गया परन्तु खसरा संख्या 1010 के सह–खातेदार अशोक पुत्र शिवराज को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। प्रत्यार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार का असंयोजन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालया द्वारा पक्षकारों के असंयोजन को नजरअन्दाज कर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित किये जाने समय केवल प्रत्यार्थीगण द्वारा मौखिक बहस पर पूर्णतः विश्वास किया जाकर मौका रिपोर्ट को नजरअन्दाज किया गया। आक्षेपित निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट में प्रत्यार्थीगण की आराजीयात में आने जाने हेतु दो रास्तों का उल्लेख किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में अपीलार्थीगण की आराजी में से दिलाया गया रास्ता काफी लम्बा है जबकि प्रत्यार्थीगण वर्तमान में निकटतम एंव सबसे छोटे रास्ते का उपयोग स्वंय की आराजी पर आने जाने हेतु कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट में उल्लेखित वैकल्पिक रास्ता जो कि सबसे छोटा एंव सुगम रास्ता होने के कथन पर किस आधार पर अविश्वास किया गया इस बाबत कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 311/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि ग्राम स्यार, पटवार हल्का स्यार तहसील सरवाड़ के ख.नं. 1013, 1014, 1015, 1017 की भूमि प्रार्थीगण के कब्जे स्वामित्व की आराजीयात है जिस पर प्रार्थीगण निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण के आराजी ख.न. 1017, 1015 के पूर्वी ओर अप्रार्थी स. 1 लगायत 5 की आराजीयात है तथा अप्रार्थी स. 1 लगायत 5 के कब्जे स्वामित्व की आराजी ख.न. 1010, 1016 की दक्षिणी मेर के सहारे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात पर आता जाता रहा है। प्रार्थीगण का उक्त रास्ता सबसे सुगम एवं सरल रहा है एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ता ख.न. 1021 तक खुला है किन्तु अप्रार्थी स. 1 लगायत 5 द्वारा ख.न. 1010, 1016 में रास्ता अवरूद्ध कर रहे है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी के आवागमन के एकमात्र रास्ते का राजस्व रिकार्ड में तरमीम किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित

किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनते हुए व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 बावजूद सूचना तामिली अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम स्यार, पटवार हल्का स्यार तहसील सरवाड स्थित प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 1017 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी के खसरा नम्बर 1010 में से 65 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 1016 में से 60 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई कुल 500 वर्गमीटर भूमि को रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 21.2.2024 के अनुसार प्रार्थी/रेस्पोडेंट को अपनी आराजी खसरा नम्बर 1013, 1014, 1015, 1017 में आने जाने हेतु रास्ते हेतु खसरा नम्बर 1010 व 1016 में से रास्ता दिलवाया जा सकता है, मौका रिपोर्ट में अंकित है परंतु इसके अतिरिक्त अन्य निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 967, 966, 2001/966 जो कि सबसे छोटा रास्ता है, में से भी दिया जा सकता है परंतु इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा चाहे गए खसरा नम्बर 1010 व 1016 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया जो कि विधिनुकुल नहीं है चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत काश्तकार को अपनी जोत तक पहुंच हेतु दिया गया रास्ता निकटतम होना चाहिए ना की काश्तकार द्वारा अपने स्वयं के स्तर पर चुने हुए खसरों में से रास्ता दिया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकटतम रास्ता नहीं दिया जाकर प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तावित रास्ते में से रास्ता दिया गया है, जो कि विधि संगत नहीं है। चूंकि उक्त प्रकरण में अन्य वैकल्पिक मार्ग मौजूद था जो लघुत्तम था इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मार्ग से रास्ता नहीं दिया जाकर खसरा नम्बर 1010 व 1016 में से रास्ता दिया गया है जो कि न्याय की मंशा के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रकरण में मौजूद वैकल्पिक रास्ते का भी अंकन नहीं किया गया जबकि प्रस्तुत प्रकरण में वैकल्पिक मार्ग विद्यमान था व लघुत्तम था बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा चाहे गए खसरा नम्बर 1010 व 1016 में से रास्ता दिया गया है जो कि दीर्घत्तम रास्ता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक व तकनीकि त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 311/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2024 को निरस्त किया

जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसारण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के समक्ष दिनांक 14.08.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर